संख्या- 4/2016/92/अडतीस-7-2016-03नरेगा/2016

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2016

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत श्रम बजट 2016-17 के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के 403 विकास खण्डों में मिशन अन्त्योदय (आईपीपीई-।।) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है एवं शेष विकास खण्डों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्रम बजट निर्धारण किया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से समय-समय पर आवश्यक दिशा- निर्देश एवं समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट निर्धारण एवं आई0पी0पी0ई0 विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट निर्धारण के साथ-साथ 04 अन्य योजनाओं यथा- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा/लोहिया आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन(एनएसएपी) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डीडीयू-जीकेवाई) को सम्मिलित करते हुए जनपदीय ग्रामीण विकास योजना (डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्लान) का निर्माण निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 4/2016/92(1)/अड्तीस-7-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।